

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था/02/2020/44

दिनांक :- 04 जनवरी, 2021

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.06.2020 के द्वारा जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र का जयपुर महानगर-प्रथम व जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्रों में विभाजन होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/IA-4(i)(a)47/2020/6014 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा जयपुर महानगर-प्रथम एवं जयपुर महानगर-द्वितीय में कर्मचारीगण के पुनर्वांटन के प्रस्ताव के अनुमोदन उपरांत निम्नांकित रीडर/शरिस्तेदार ग्रेड-द्वितीय (जो वर्तमान में जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में पदस्थापित हैं) का पुनर्वांटन (reallocation) जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र में होने के फलस्वरूप उनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों में किया जाता है:-

| क्रम संख्या | नाम कर्मचारी (रीडर/शरिस्तेदार ग्रेड-द्वितीय) सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | नाम न्यायालय जिसमें पदस्थापन किया जाता है। | पदनाम जिस पर लगाया जाता है। |
|-------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | DHARAM CHAND JAIN | CMM | READER GR.-II |
| 2. | MANISHA JAIN | ACMM NO. 06 | READER GR.-II |
| 3. | YADVENDRA SHARMA | ACMM NO. 01 | READER GR.-II |
| 4. | DEVENDRA KUMAR GUPTA | ACMM NO. 07 | READER GR.-II |
| 5. | PANKAJ JAIN | ACMM NO. 08 (AMER) | READER GR.-II |
| 6. | MOHAN SHARMA | DJ COURT | OFFICE ASSISTANT |

नोट :- उक्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्त होने पर सीधे पदस्थापन न्यायालय में कार्य ग्रहण करें तथा संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कर्मचारीगण के कार्य ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था/02/2020/

दिनांक :- 04 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय।
02. संबंधित न्यायालय/प्रभारी अधिकारी.....
03. संबंधित कर्मचारी.....
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
05. निजी पत्रावली, संबंधित कर्मचारी।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय